22.04.22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान आवेदक वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा द्वितीय नक्शा सीट सन 1979–80 तैयार करते समय पूर्व नक्शा सीट सन 1936–37 के अनुसार तैयार नहीं की, जिससे दोनों नक्शा सीटों में काफी अन्तर आ गया हैं। अतः ग्राम मझाऊ की भूमि खसरा नम्बर पुराना 251 व नया 251 व 252, 250 की नक्शा सीट सन 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी नक्शासीट 1936–37 के अनुसार तरमीम की करवाई जावे। अप्रार्थी ने जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उतरी भुजा 5 मीटर व पश्चिम भुजा 28 मीटर पुरानी नक्शा सीट से नई नक्शा सीट में कम पायी गई तथा पूर्वी भुजा पुरानी नक्शा सीट से नयी नक्शा सीट में 4 मीटर अधिक पाई गई हैं। पत्रावली, जांच रिपोर्ट का घ्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर की नई नक्शा सीट व पुरानी नक्शा सीट में अंतर हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम मझाऊ के भूमि खसरा नम्बर पुराना 251 व नया 251 व 252, 250 की नक्शा सीट सन 1979–80 को दुरूस्त कर पुरानी नक्शासीट 1936–37 के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी